रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 1997/आषाढ़ 16, 1919
No. 37] NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 1997/ASADHA 16, 1919

7/7/97

भारतीय रिज़र्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

(बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 27 जून, 1997

बैंपविवि सं. आइबीएस 2188/23.13.080/96-97:— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल कर लिया जाये :

''द सुमीटोमो बैंक, लिमिटेड''

एस. गुरुमूर्ति, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Central Office)

(Department Of Banking Operations & Development)

NOTIFICATION

Mumbai, 27th June, 1997

DBOD. NO. IBS 2188/ 23.13.080/96-97 :— In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

"The Sumitomo Bank, Limited"

S. GURUMURTHY, Executive Director

1669GI/97

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, D[illegible]